न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2017/00040

1. अनुराग अग्रवाल पुत्र मुकुट बिहारी अग्रवाल
2. मुकुट बिहारी अग्रवाल पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति महाजन निवासीयान –87 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामपाल पुत्र लाल, जाति गुर्जर निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील फागी।
2. हरजी
3. कजोड
4. झलमल पुत्रान् घासी समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीतारामपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
5. देवकरण पुत्र श्योकरण (मृतक दौराने अपील नाम हजफ मुताबिक आदेश दिनांक 26.06.2018)
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा दिनांक 17.01.2017 उनवानी रामपाल बनाम तहसीलदार फागी वगै0 अपील क्रमांक 28/2016 जिसके द्वारा उन्होंने नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 28.06.2010 को निरस्त किया है।

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री अर्जुनलाल चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6

अपील जीसीएमएस नम्बर 2017/00079

1. अनुराग अग्रवाल पुत्र मुकुट बिहारी अग्रवाल
2. मुकुट बिहारी अग्रवाल पुत्र हनुमान सहाय
   समस्त जाति महाजन निवासीयान –87 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड, जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामपाल पुत्र लाल, जाति गुर्जर निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील फागी।
2. हरजी
3. कजोड
4. झलमल पुत्रान् घासी समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीतारामपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
5. देवकरण पुत्र श्योकरण (मृतक दौराने अपील नाम हजफ मुताबिक आदेश दिनांक 26.06.2018)
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा दिनांक 17.01.2017 उनवानी रामपाल बनाम तहसीलदार फागी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वगै0 अपील क्रमांक 27/2014 जिसके द्वारा उन्होंने नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 को निरस्त किया है।

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री अर्जुनलाल चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 बाद तामिल अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक – 18.12.2023

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितिय, जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. से साथ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितिय, जयपुर के समक्ष ग्राम भीमपुरा तहसील फागी की विवादित भूमि कुल किता 10 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा के तहसीलदार फागी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 28.06.2010 एवं नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 को गलत बताते हुये नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2017 को दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार फागी को उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनुराग अग्रवाल पुत्र मुकुट बिहारी अग्रवाल वगै0 द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितिय, जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील फागी की विवादित भूमि कुल किता 10 रकबा 3.5 बीघा 10 बीस्वा के रिकॉडेड खातेदार घासी, देवकरण पिसरान श्योकरण हिस्सा 1/6 एवं लाला पुत्र श्योकरण 1/6 हिस्सा जाति गुर्जर बदस्तुर थे। नामान्तरकरण संख्या 257 के द्वारा घासी पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12 देवकरण पुत्र श्योकरण का हिस्सा 1/4 राजस्व जमाबन्दी में हुआ। तत्पश्चात् घासी , देवकरण पुत्र श्योकरण गुर्जर ने अपना हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र अपीलांट अनुराग अग्रवाल एवं मुकुट बिहारी अग्रवाल को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 द्वारा तस्दीक कर दिया गया। प्रकरण में मूल विवाद लाल पुत्र श्योकरण की भूमि के संबंध में है। वास्तव में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लाल पुत्र श्योकरण, देवकरण पुत्र श्योकरण का ही उपनाम है जिसे घर पर लाला के नाम से जाना जाता है जिस बाबत् एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 136 लगाने पर उपखण्ड अधिकारी फागी ने दिनांक 08.04.2010 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लाला पुत्र श्योकरण के स्थान पर देवकरण पुत्र श्योकरण दर्ज करने का आदेश दिया जिसकी अपील लाल पुत्र सबला द्वारा अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहॉ करने पर रिमाण्ड करने के आदेश प्रदान किये गये। लाला पुत्र सबला एवं लाला पुत्र श्योकरण दो पृथक–पृथक व्यक्ति हैं एवं लाला, देवकरण का ही उपनाम है। लाला पुत्र सबला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 257 एवं 259 के विरूद्व मियाद बाहर अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के यहॉ प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा बिना मियाद के बिन्दु को निस्तारित किये तहसीलदार फागी को नामान्तरकरण निरस्त कर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये हैं जबकि लाला पुत्र सबला को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उक्त विवादित भूमि से उसका कोई लेना–देना नहीं है ना ही नामान्तरकरण संख्या 257 एवं 259 से उसके हित प्रभावित होते हैं एवं ना ही रामपाल पुत्र लाला पुत्र सबला द्वारा अपील पेश करने की अनुमति ली है। अतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर द्वारा मियाद बाहर अपील को बिना प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के अप्रभावित पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत अपील पर निर्णय करने में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है। नामान्तरकरण जैर अपील क्रमांक 257 दिनांक 28.06.2010 को तस्दीक किया गया जिसके विरूद्ध अपील व f 2014 में प्रस्तुत की गयी है चूंकि अपील मियाद बाहर थी इसलिए अपील के अपीलार्थी रामपाल ने अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। न्यायालय जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर को मियाद के प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किये बिना गुणावगुण पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना पूर्व अपील का गुणावगुण पर निर्णित कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय पारित किया है जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। मूल विवाद लाला पुत्र श्योकरण से सम्बन्धित भूमि का है जबकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी रामपाल पुत्र लाला ने अपने दादा का नाम सबला बताया है। वादग्रस्त भूमि का लाला पुत्र सबला से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अपील पर बहस के समय यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि लाला पुत्र सबला व लाला पुत्र देवकरण दो पृथक–पृथक व्यक्ति है। अपीलार्थी ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसके दादा का नाम सबला है। रामपाल पुत्र लाला पौत्र सबला को लाला पुत्र श्योकरण का वारिस मानकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने न केवल कानूनी गलती की बल्कि एक पक्षपात पूर्ण निर्णय पारित किया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने अपने निर्णय में यह मानना पूर्ण रूप से गलत व अभिलेख के विरूद्ध है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर व न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के यहां से स्थगन आदेश जारी है। जबकि वास्तविकता यह है कि लाला पुत्र श्योकरण की भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण तस्दीक होने की दिनांक को दोनों ही न्यायालयों से कोई स्थगन प्रभावी नहीं था। पत्रावली का अवलोकन किये बिना अपील को तहसीलदार फागी को प्रति प्रेषित करने में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। रामपाल पुत्र लाला पौत्र सबला ने सहायक कलक्टर फागी के समक्ष अपने अधिकारों की धोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विचाराधीन है। रामपाल के अधिकार उस वाद में निर्धारित होगें। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड करने में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने गलती की है। उन्हें कार्यवाही को वाद के निर्णय तक स्थगित करना चाहिए था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर ने अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सभी कानूनी तर्कों पर विचार न कर तथ्यों को स्वेच्छानुसार जो निर्णय पारित किया है, वह पढने मात्र से ही वह आरबीट्रेटरी एण्ड कॉन्ट्राटरी टू लॉ प्रतीत होता है। निर्णय जैर अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर दिनांक 17.01.2017 को निरस्त फरमायी जावे और नामान्तरकरण संख्या 257 एवं 259 को यथावत रखे जाने जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :– 1985 आरआरडी 170, 1995 आरआरडी 120, 2000 आरआरडी 205, 2009 (2), आरआरटी 816, 2009 (2) आरआरटी 1225

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्याय जिला जयपुर के समक्ष दो अपील संख्या 27/2014 एवं 28/2014 उनवानी रामपाल बनाम तहसीलदार व अन्य विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार फागी जिला जयपुर नामान्तकरण संख्या 257 आदेश दिनांक 28.06.2010 एवं नामान्तरकरण संख्या 259 आदेश दिनांक 16.08.2010 के विरूद्ध पेश की थी। जिसमें रेस्पोडेन्ट ने कथन किया था कि प्रार्थी/अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 3/10 व वाद संख्या 5/10 घो णा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 19.02.2010 उनवानी रामपाल बनाम घासी प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया था। न्यायालय सहायक कलेक्अर फागी के आदेश दिनांक 19.02.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ कैवियट दिनांक 22.03.2010 को दायर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व. घासी व देवकरण उर्फ लाला बनकर दिनांक 27.01.2010 को फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। जिस पर अपीलार्थी ने विक्रय पत्र की नकल प्राप्त कर न्यायाधीश क्रम संख्या 2 में 190 फौजदायरी के प्रस्तुत किया जो परिवाद स्वीकार किया जाकर एफ.आई.आर. संख्या 98/2010 दर्ज कर धारा 420, 468, 467, 471 व 120 बी के तहत दर्ज कर अनुसंधानरत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता घासी देवकरण ने एफ.आई.आर. से बचने के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहां प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट दिनांक 25.03.2010 प्रस्तुत किया जिसमे अपीलार्थी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। दिनांक 08.04.2010 को आदेश हुआ जिसमें लाला पुत्र श्योकरण के बजाय देवकरण पुत्र श्योकरण दर्ज करने के आदेश हुये जिसकी नकल प्राप्त कर उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहॉ अपील संख्या 6/2010 धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के साथ दिनरांक 19.04.2010 प्रस्तुत कर दिनांक 08.04.2010 की क्रियान्विति स्थगित करने हेतु व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। यह कि अपीलार्थी के सजराखान दान में से नारायण पुत्र भैरूबक्स ने नामान्तकरण दिनांक 07.09.2009 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय के यहॉ प्रस्तुत कर स्थगन आदेश पारित करवा लिया जिसमें

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार फागी पक्षकार है। अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी के प्रस्तुत वाद संख्या 5–2010 में पूर्व सुनवाई कर दिनांक 21.12.2012 को निर्णय व डिक्री कर दिया गया। जिसमें तहसीलदार फागी भी पक्षकार है न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय का स्थगन आदेश प्रभावी है तथा अपीलार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील संख्या 6/2010 में क्रियान्विती स्थिगित दिनांक 31.01.2011 को अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी फागी को रिमाण्ड किया गया फिर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी ने नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी का निर्णय दिनांक 16.08.2010 विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलाथी/वादी ने न्यायालय सहायक कलेक्टरा महोदय फागी जिला जयपुर के यहां पैतृक विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 94, 112, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 168, 177 कुल किता 10 कुल रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा ग्राम भीमपुरा तहसील फागीय जिला जयपुर के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 5/2010 व प्रार्थना पत्र संख्या 3/10 उनवानी रामपाल बनाम घासी व अन्य दिनांक 19.02.2010 प्रस्तुतकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 के पिता व देवकरण को अस्थाई निशेघाज्ञा से पाबन्द किया फिर भी तहसीलदार फागी ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर अपील में अनुतोष चाहा गया कि न्यायालय तहसीलदार फागी का आदेश दिनांक 16.08.2010 नामान्तरकरण संख्या 259 व दिनांक 28.06.2010 नामान्तरकरण संख्या 257 को निरस्त कर निर्णय डिक्री दिनांक 21.12.2012 की पालना की जावे। जिस पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 को निरस्त किया गया। अपीलान्ट का यह कथन कि उसने आराजी रिकोर्ड खातेदार घासी, देवकरण पिसरान श्योकरण हिस्सा 1/6 लाला पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर के नाम बदस्तूर था तथा नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 पर दर्ज व अंकित था उक्त आराजी में से अपीलान्ट द्वारा घासी, देवकरण पुत्र श्योकरण से हिस्सा 1/3 क्रय कर नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 को तस्दीक करवाया है लेकिन यहा यह स्पष्ट करना आवश्यक है जब नामान्तरकरण संख्या 257 ही दौराने स्थगन अवैध तरीके से तस्दीक हुआ है। जिसके आधार पर अपीलान्ट ने भूमि को क्रय करना बताया है उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये भी अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही प्राकृतिक वारिसों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के सद्भावी क्रेतागण होने से खातेदार काश्तकार है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 28.06.2010 निर्णय उपखण्ड अधिकारी फागी के आदेश क्रमांक राज/कोर्ट 171 दिनांक 09.04.2010 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू.अ./न्या./10 27, 29 दिनांक 24.05.2010 एवं तहसील आदेश क्रमांक भू.अ./3408 दिनांक 28.06.2010 की पालना अनुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार देवकरण व लाला दोनों एक ही व्यक्ति होने से लाला के स्थान पर देवकरण दर्ज किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 द्वारा ग्राम भीमपुरा की आराजी ख.नं. कुल किता 10 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घासी देवकरण पि0 श्योकरण हिस्सा 1/6 लाला पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/6 जाति जाति गुर्जर सा. देह बदस्तुर जमाबन्दी आराजी का नामान्तरकरण संख्या 257 घासी पुत्र श्री श्योकरण हिस्सा 1/12 देवकरण पि0 श्योकरण हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर, सा. देह के नाम दिनांक 28.06.2010 को स्वीकार किया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 259 ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा कुल किता 10 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार घासी देवकरण पुत्र श्योकरण गुर्जर हिस्सा 1/3 का नामान्तरकरण अनुराग अग्रवाल पुत्र मुकुट बिहारी अग्रवाल व मुकुट बिहारी अग्रवाल पुत्र हनुमानदास अग्रवाल जाति महाजन निवासी बी–87, जय–जवान कॉलानी प्रथम, टोंक रोड जयपुर हिस्सा 1/3 के नाम दिनांक 16.08.2010 को स्वीकार किया गया। जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख नामान्तरकरण, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी इत्यादि में भी किया जा चुका है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामपाल पुत्र स्व. श्री लाला द्वारा तहसीलदार फागी के निर्णय से असंतुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर में दो अपीलें नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 में विवादित भूमि में सहायक कलक्टर फागी के निर्णय 21.12.2012 के आधार पर लाला पुत्र श्योकरण के स्थान पर लाला पुत्र सबला दुरूस्त किये जाने पर उक्त भूमि पर अपना अधिकार चाहता है। रेस्पोडेन्ट के कोई अधिकार बनते हैं तो सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते है। लाला पुत्र सबला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 257 एवं 259 के विरूद्व मियाद बाहर अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के यहॉ प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा बिना मियाद के बिन्दु को निस्तारित किये तहसीलदार फागी को नामान्तरकरण निरस्त कर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये हैं जबकि लाला पुत्र सबला को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उक्त विवादित भूमि से उसका कोई लेना–देना नहीं है ना ही नामान्तरकरण संख्या 257 एवं 259 से उसके हित प्रभावित होते हैं एवं ना ही रामपाल पुत्र लाला पुत्र सबला द्वारा अपील पेश करने की अनुमति ली है। अतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर द्वारा मियाद बाहर अपील को बिना प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के अप्रभावित पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत अपील पर निर्णय करने में अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर ने विधिक त्रुटि की है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि विधिक प्रावधान पालना करने के लिये बनाए गये है। अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई पक्षकार नहीं है तो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर तथा अनुमति प्राप्त कर पक्षकार बनते हुए अपील पेश कर सकता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामपाल पुत्र स्व लाला द्वारा कोर्ट में आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के बिना अपील स्वीकार किया जाना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उचित नहीं था। नामांतरकरण भरे जाने की दिनांक के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामपाल का यह कथन रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 257 व 259 वस्तुतः दिनांक 28.06.2010 एवं 16.08.2010 को स्वीकार किया गया परंतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फागी द्वारा बेचान न करने व रिकार्ड यथावत रखने के दिनांक 19.02.2010 को स्थगन एवं न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त आयुक्त, जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2010 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में उप खण्ड अधिकारी फागी के आदेश दिनांक 08.04.2010 की क्रियान्विति स्थगित रखने एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने की आज्ञा दी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यदि न्यायालय की अवमानना एवं किसी तरह की रिकॉर्ड टैम्परिंग की गई है तो उसकी जॉच एवं उस पर अवमानना की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। यदि रेस्पोडेन्ट को लगता है कि इस तरह का कोई कृत्य किया गया है तो उसे संबंधित न्यायालय में इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। जबकि राजस्व रिकार्ड में हुए उक्त इन्द्राजात को नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही के माध्यम से विलोपित नही कराया जा सकता है। इसके लिये तो भूमि विवादग्रस्त के खातेदारान के वारिसान को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर करके ही चाराजोही करनी चाहिये जिसके लिये रेस्पोडेन्ट स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 28.06.2010 एवं नामान्तरकरण संख्या 259 दिनांक 16.08.2010 ग्राम भीमपुरा तहसील फागी जिला जयपुर को बहाल किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।